



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 744]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935

No. 744]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 872(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 141 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
“141	43	मध्य प्रदेश राज्य में कटनी के निकट रारा-30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उमरिया, शहडोल को जोड़ते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में नगर, अम्बिकापुर, पथलगांव, जशपुर नगर को जोड़ते हुए, झारखंड राज्य में गुमला, रांची, चंदिल, मणिकुल, सराईकेला को जोड़ते हुए चैबासा के निकट रारा 20 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-18)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

**S.O. 872(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S. O. 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely :—

In the Schedule, for serial numbers, 141, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"141	43	The highway starting from its junction with NH-30 near Katni connecting Umaria, Shahdol in the State of Madhya Pradesh, Nagar, Ambikapur, Pathalgaon, Jashpurnagar in the State of Chhattisgarh, Gumla, Ranchi, Chandil, Manikul, Saraikela and terminating at its junction with NH-20 near Chaibasa in the State of Jharkhand.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-18)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

**Footnote :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 364 (E), dated 10<sup>th</sup> February, 2014.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 873(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है ।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तंभ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

## तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
“282	133 ए	झारखंड राज्य में बाहरवा के निकट रारा 33 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पाकुर को जोड़ते हुए पश्चिमी बंगाल राज्य में निमताला के निकट रारा 12 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
283	419	पश्चिमी बंगाल राज्य में कुलती के निकट रारा 19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर झारखंड राज्य में चितरंजन, जमातरा को जोड़ते हुए गोबिंदपुर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
284	143 ए	झारखंड राज्य में गुमला के निकट रारा 43 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर घाघरा, लोहारडागा को जोड़ते हुए कुरु के निकट रारा 39 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।”

[फा. सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम (पार्ट-18)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 364 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

**S.O. 873(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

## TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
“282	133A	The highway starting from its junction with NH-33 near Baharwa connecting Pakur in the State of Jharkhand and terminating with NH-12 near Nimtala in the State of West Bengal.
283	419	The highway starting from its junction with NH-19 near Kulti in the State of West Bengal connecting Chittaranjan, Jamtara and terminating at Gobindpur in the State of Jharkhand.
284	143A	The highway starting from its junction with NH-43 near Gumla connecting Ghaghra, Lohardaga and terminating at its junction with NH-39 near Kuru in the State of Jharkhand.”

[F. No. NH-14012/15/2013-P&amp;M (Pt-18)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

**Footnote :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 364 (E), dated 10th February, 2014.